भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No.S1377/09-06-002/2025-26 05 फरवरी, 2026

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ग्रामीण सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

ग्रामीण सहकारी बैंकों (डीसीसीबी और एसटीसीबी) के व्यावसायिक निदेशकों के लिए सहकारी बैंकों के व्यवसाय विकास पर कार्यक्रम
23 से 25 मार्च, 2026

भारतीय रिजर्व बैंक, CAB, पुणे 23 से 25 मार्च, 2026 के दौरान CAB, पुणे के परिसर में "ग्रामीण सहकारी बैंकों (डीसीसीबी और एसटीसीबी) के व्यावसायिक निदेशकों के लिए सहकारी बैंकों के व्यवसाय विकास पर कार्यक्रम" आयोजित कर रहा है।

2. Programme Objectives: कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- ग्रामीण सहकारी बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापार विविधता रणनीतियों और ग्रामीण बाजार के अवसरों पर ज्ञान साझा करना
- डिजिटल बैंकिंग, शासन, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेशन प्रथाओं में क्षमता विकसित करना

3. Venue and accommodation

कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी 22 मार्च, 2026 की संध्या को सीएबी मे रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम के समापन के दिन पर प्रस्थान कर सकते हैं। ओवरस्टे और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

4. Course Contents: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध I में दी गई है।

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए अपने बैंक से व्यावसायिक निदेशकों का नामित करें। नामांकन **13 मार्च, 2026** को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। भागीदारी शुल्क

का विवरण अनुबंध ॥ में दिया गया है । **कृपया ध्यान दें कि नामांकन First Come First Served Basis (FCFS) के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।**

6. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील – 9503779432 / श्रीमती साधवी भाटिया – 9834023900) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से **nomination.ami@rbi.org.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

IMPORTANT DATES	
Programme Dates	23 से 25 मार्च, 2026
Last date for receipt of nomination	13 मार्च, 2026
Reporting at CAB	22 मार्च, 2026, शाम को
Programme Timings	सुबह 09:45 से शाम 05:30 बजे तक
Completion of programme	25 मार्च, 2026 को शाम 05.30 बजे

Yours sincerely,

(डॉ. के सुब्रमणियन)
उप महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य
कार्यक्रम निदेशक
Contact: 9489625948
Email ID- ksubramanian@rbi.org.in

Encl.: As above

Annex – I

Broad Course contents

Module I: Business Development and Portfolio Diversification

- Overview of cooperative banking business models
- Identifying and leveraging growth opportunities in rural markets
- Strategies for diversifying loan portfolios (MSME, Agriculture, etc.)

Module II: Enhancing Financial Inclusion and Rural Outreach

- Promoting financial literacy and access to banking services in remote areas.
- Convergence with government schemes to finance rural livelihood groups
- Consumer Protection

Module III: Leveraging Technology for Competitive Advantage

- Digital transformation and its impact on rural cooperative banks
- Enhancing customer experience through technology

Module IV: Governance

- Key Regulations from Banking Regulation Act
- Other Important Acts applicable to RCBs
- Effective Governance

Annex II

ग्रामीण सहकारी बैंकों (डीसीसीबी और एसटीसीबी) के व्यावसायिक निदेशकों के लिए सहकारी बैंकों के व्यवसाय विकास पर कार्यक्रम

23 से 25 मार्च, 2026

Fee Structure

Group		Fees per participant	18% GST	Total fees to be paid per participant (including GST)
State Cooperative Banks	Residential	₹13,200/-	₹2,376/-	**₹15,576/-**
	Non-residential	₹8,200/-	₹1,476/-	**₹9,676/-**
DCCBs	Residential	₹8,800/-	₹1,584/-	**₹10,384/-**
	Non-residential	₹5,500/-	₹990/-	**₹6,490/-**

Please use the programme code AMI-23032026 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.

PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.

In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should, therefore, not deduct TDS on the Programme Fees.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।